(24)

(327)

हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार

की

ऑडिट रिपोर्ट

अवधि

वर्ष 2005–06

Scanned with CamScanner

सा0/20

निदेशालय, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल आडिट, उत्तरांचल,
(स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग) देहरादून।

सम्परीक्षा आख्या भाग–प्रथम

लेखे का नाम :– हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।

सम्परीक्षा अवधि :– वर्ष 2005–06

प्रशासन :– आलोच्य वर्ष में प्राधिकरण का प्रशासन निम्नवत् रहा:–

पदनाम	अवधि	अधिकारियों का नाम
उपाध्यक्ष	01.4.2005 से 04.4.2005 तक	श्री आर0के0 सुधासूँ, (जिलाधिकारी)
	04.4.2005 से 30.6.2005 तक	श्री सुन्दरलाल मुयाल
	01.7.2005 से 12.7.2005 तक	श्री आर0के0 सुधासूँ, (जिलाधिकारी)
	12.7.2005 से 31.01.2006 तक	श्री चनरराम
	01.2.2006 से 07.3.2006 तक	श्री आर0के0 सुधासूँ, (जिलाधिकारी)
	07.3.2006 से 31.3.2006 तक	श्री दयाल सिंह नाथ
सचिव	01.4.2005 से 27.7.2005 तक	श्री हरिशचन्द्र राणा, (सहायक अभि0)
	27.7.2005 से 08.8.2005 तक	श्री विचित्र सिंह पंवार, (उपसचिव)
	08.8.2005 से 31.10.2005 तक	श्री युगल किशोर पन्त
	31.10.2005 से 09.3.2006 तक	श्री डी0 मेंथिल पांडियन
	09.3.2006 से 31.3,2006 तक	श्री विचित्र सिंह पंवार
मुख्य लेखाधिकारी	सम्पूर्ण वर्ष	श्री प्रदीप कुमार गोयल

सम्परीक्षा का स्वरूप :– उपलेखा परीक्षा।

अनिस्तारित आपत्तियों का विवरण :–

अवधि	अनुच्छेद	आपत्ति पद	कुल संख्या
1993–94	20(क)(ख)	—	02
1994–95	21	—	01

		—
1995–96	1(क)(ख)(1)(2)(3)	—
1996–97	1(क)(ख)(1)(2)	—
1997–98	1(क),7टि0	1,2,12
1998–99	1(2)(3)(4)(5)(6)(7),9,14,15	
1999–2000	1(1)(2)(3)(5)(8)(11)(12)(14)(15), 5टि0 (3),6टि0(2)(3),7	—
2000–01	1 (1)(2)(3)(4)(5)(6) ,2(क),3टि0(2) (3)(4)(5),4टि0(1)(2)(3)(4),5,8	—
2001–02	1(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(i)(ii)(iii)(iv), 2(1)(2)(3)(4),[illegible](3),4टि0(1)(2),5,6,7	2,3,4,5,6,7,8, 10,11,12
2002–03	1(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)[redacted] [illegible],3टि0(1)(2)(3)(4)(5),4टि01(1)(2)(3), 6,8	1,5,7,9,10, ..,14
2003–04	1टि0 (1)(2)(3)(1)(2)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12) (13)(14),3टि0 (1)(2),4टि0,5टि0 (1)(2)(3), 7(1)(2)(3),8	—
2004–05	1(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11),[illegible] (14)3टि0(1)(2)(3)(4),4टि0(2)(3),5टि0(1)(2), 6टि0(1)(2),7	1,2

योग

टिप्पणी :– अनिस्तारित आपत्तियों का अनुपालन यथाशीघ्र कराकर अनुपालन आख्यायें [illegible] प्रेषित की जाय।

स्थान: देहरादून
दिनांक: 01.8.2006
राकेश मोहन उपाध्याय
वरिष्ठ लेखा परीक्षक

सहायक निदेशक
(स्थानीय निधि लेखा परीक्षा)
उत्तरांचल, देहरादून

(ओम्12345)

325 337 26

का0/20

निदेशालय, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल आडिट, उत्तरांचल,
(स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग) देहरादून।

सम्परीक्षा आख्या भाग–दो(अ)

लेखे का नाम :– हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।

सम्परीक्षा अवधि :– वर्ष 2005–06

सम्परीक्षा में पायी गयी गम्भीर आपत्तियों के विवरण :–

1– व्यपहरण/दुर्विनियोग /अनानुमोदित व्यय के प्रकरण :– शून्य

2– अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान/परिहार्य व्यय :– अध्यक्ष, एम0डी0डी0ए0 देहरादून के टेलीफोन बिलों के भुगतान पर रू0 62,815=00 का अमान्य व्यय।

सम्परीक्षा आख्या भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(1)

3– अधिष्ठान /वेतन निर्धारण सम्बन्धी अनियमिततायें :– शून्य

4– आय/राजस्व की क्षति से सम्बन्धित अनियमिततायें :–

भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क रू0 30,73,905=00 आरोपित न किये जाने के फलस्वरूप आर्थिक क्षति।

सम्परीक्षा आख्या भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(2)

5– अन्य विविध प्रकृति की गम्भीर अनियमिततायें :– शून्य

सहायक निदेशक
(स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग)
उत्तरांचल, देहरादून।

स्थान: देहरादून
दिनांक: 01.8.2006
राकेश मोहन उपाध्याय
वरिष्ठ लेखा परीक्षक

ओम्12345

Scanned with CamScanner

सा0/20

निदेशालय, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल आडिट, उत्त
(स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग) देहरादून।
सम्परीक्षा आख्या भाग–दो(ब)

लेखे का नाम :– हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।

सम्परीक्षा अवधि :– वर्ष 2005–06

सम्परीक्षा के दिनांक :– दिनांक 04.4.2006 को प्रारम्भ एवं दिनांक 14.6.2006 को
गया।

1– लेखे के उल्लेखनीय प्रकरण :–

(1) अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, हरिद्वार के टेलीफोन बिलों के भुगतान पर रू0 62,815=
व्यय :– पत्रावली संख्या प्रशा0–1(क)–5/2002–03 द्वारा अध्यक्ष, एम0डी0डी0ए0, देहरा
बिलों का भुगतान आलोच्य वर्ष में निम्नांकित विवरणानुसार किया गया था :–

दिनांक	चैक संख्या	धनराशि (रू0)	टेलीफोन संख्या
8.8.2005	201352	14,661=00	2762224 व 2762228
29.9.2005	201561	13,649=00	2762224 व 2762228
29.12.2005	201684	13,082=00	2762224 व 2762228
01.3.2006	201894	21,423=00	2655447 व 2655448
	योग	62,815=00	

उल्लेखनीय है कि उक्तवत् दो टेलीफोन बिलों का भुगतान आगे भी किया जा
टेलीफोन हरिद्वार विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित न होने के कारण इनका भुगतान प्राधि
किया जाना अनियमित था तथा इन भुगतानों पर हुआ व्यय प्राधिकरण निधि पर उचित
होता। इस विषय में कोई नियम, उपनियम आदि हो तो दिखाया जाय।

Scanned with CamScanner

(2) भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क रू0 30,73,905=00 आरोपित न किये जाने के फलस्वरूप आर्थिक क्षति :

मानचित्र पत्रावली संख्या –ऋषि0/120/04–05 द्वारा सेक्रेट्री, माडर्न इन्स्टीट्यूट आफ टैक्नोलोजी, ढालवाला (टिहरी गढ़वाल) का मानचित्र स्वीकृत किया गया था। स्वीकृत मानचित्र अतिरिक्त निर्माण हेतु था तथा पूर्व निर्माण का मानचित्र ऋषिकेश की पत्रावली संख्या 72/2000 द्वारा स्वीकृत था। स्वीकृत मानचित्र का स्थल ऋषिकेश महायोजना–2011 के अनुसार औद्योगिक भू–उपयोग हेतु था। महायोजना में निहित प्रावधानों के अनुसार प्राधिकरण बोर्ड को विशेष परिस्थितियों में भू–उपयोग परिवर्तन स्वीकृत करने का अधिकार था लेकिन आवास अनुभाग देहरादून के शासनादेश संख्या 1205/V/आ0–2005–11 (एल0यू0सी0)/2005 दिनांक 12.4.2005 के प्रस्तर–(11) के अनुसार भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने से पूर्व उत्तरांचल शासन के उद्योग विभाग से अनापत्ति प्राप्त करके ही भू–उपयोग परिवर्तन हो सकता था तथा ऐसे भू–उपयोग पर भूखण्ड के सर्किल रेट का न्यूनतम 15 प्रतिशत परिवर्तन शुल्क आरोपित किया जाना था लेकिन प्राधिकरण के प्रस्ताव संख्या 38 दिनांक 21.7.2005 द्वारा निर्णय लिया गया था कि बिना भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क लिये नियमानुसार मानचित्र स्वीकृत कर शासन को सूचनार्थ प्रेषित कर दिया जाय। उल्लेखनीय है कि इस हेतु उद्योग विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त नही किया गया था। तत्पश्चात् मानचित्र उपाध्यक्ष द्वारा दिनांक 01.12.2005 को स्वीकृत करके शासन को सूचना उपसचिव के पत्रांक 2825 /मान0ऋषि0/120/2004–05 दिनांक 9.1.2006 द्वारा प्रेषित कर दी गयी थी।

इस प्रकार उक्त शासनादेश दिनांक 12.4.2005 के अनुसार न तो उद्योग विभाग से अनापत्ति प्राप्त की गयी थी और न ही भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क (भूखण्ड क्षेत्रफल 10,045.44 वर्गमीटर पर रू0 2040=00 प्रति वर्गमीटर की दर से मूल्य के 15 प्रतिशत) रू0 30,73,905=00 आरोपित किया गया था। इसके फलस्वरूप उक्त शासनादेश के उल्लंघन होने के साथ ही प्राधिकरण को रू0 30,73,905=00 की आर्थिक क्षति हुई। अतः प्रकरण की उच्च स्तरीय विस्तृत जाँचोपरान्त नियमानुसार उत्तरदायित्व निर्धारित कर कार्यवाही की जाय।

(3) पर्यवेक्षण शुल्क की दर को अद्यावधिक न किये जाने के फलस्वरूप आर्थिक क्षति :– प्राधिकरण में लागू पर्यवेक्षण शुल्क की दर (रू0 5=00 प्रति वर्गमीटर) आवास अनुभाग–3 (उ0प्र0 शासन लखनऊ) के शासनादेश संख्या 146/9–आ–3–98–7 विविध/98 दिनांक 22.1.1998 द्वारा निर्धारित की गयी थी। शासनादेश में उक्त दर तत्कालीन कास्ट इन्डैक्स पर आधारित होने का उल्लेख था तथा विकास प्राधिकरण स्तर पर ही प्रत्येक वर्ष भारत सरकार द्वारा घोषित कास्ट इंडैक्स के आधार पर इस दर को

Scanned with CamScanner

अद्यावधिक किया जाना था लेकिन प्राधिकरण द्वारा उक्त दर को आलोच्य वर्ष के अन्त
नही किया गया था। इसके फलस्वरूप प्राधिकरण को आलोच्य वर्ष में हुई क्षति
उत्तरदायित्व नियत कर कार्यवाही ली जाय।

(4) जल व्यय शुल्क की दरें पुनरीक्षित न किये जाने के फलस्वरूप आर्थिक क्षति :– जल
दरें सचिव के कार्यालय आदेश संख्या 2880 दिनांक 10.2.99 द्वारा निर्धारित की गयी थी
के लोक निर्माण विभाग की शिड्यूल दरों पर आधारित थी। तत्पश्चात् उक्त दरों का
किया गया था जो लोक निर्माण विभाग की शिड्यूल दरों के पुनरीक्षण के साथ–साथ कि
था। इस प्रकार कम दरों पर शुल्क प्राप्त होने के फलस्वरूप प्राधिकरण को आर्थिक क्षति
इन दरों का यथाशीघ्र पुनरीक्षण कराकर लागू कराया जाना प्राधिकरण हित में था। इस
कार्यवाही अपेक्षित है।

(5) मानचित्र शमन होने पर श्री विक्रम सिंह से वाद व्यय की वसूली न किया जाना :–
संख्या नौ0/ज्वा0/55/2000–01 द्वारा श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री बहाल सिंह का शमन
किया गया था। शमन मानचित्र प्रस्तुत होने के पूर्व विपक्षी पर वाद दायर करना पड़ा था
से वाद व्यय की वसूली के बिना ही निर्माण को शमन कर दिया गया था। पत्रावली में
धनराशि अंकित नही थी। वाद व्यय ज्ञात करके उसकी वसूली अथवा क्षति पूर्ति अपेक्षित है

(6) शमन पत्रावली में विलम्ब शुल्क रू0 329=00 की माँग/वसूली न किया जाना :–
संख्या नौ0/हरि0/53/1999–2000 द्वारा प्रबन्धक, ललिता आश्रम, भोपतवाला का वाद
रहा था। पत्रावली के दाहिनी ओर पृष्ठ –88 पर आगणित विलम्ब शुल्क (ब्याज) रू0 71,5
मात्र रू0 71,242=00 की माँग /वसूली की गयी थी। इस प्रकार रू0 329=00 की कम
की गयी थी। जिसकी वसूली/क्षतिपूर्ति कराकर अवगत कराया जाय।

(7) अवैध निर्माण के प्रकरण अत्यधिक मात्रा में लम्बित होना :– आलोच्य वर्ष के अन्त
प्रकरण अवैध निर्माण के लम्बित थे। इन प्रकरणों को प्रत्येक वर्ष अग्रेनीत न किये जाने
इनकी वर्षवार स्थिति अज्ञात रही। इन प्रकरणों के यथाशीघ्र निस्तारण हेतु उच्च स्तरीय प्रभा
अपेक्षित है।

Scanned with CamScanner

(8) अग्रिम रू0 50,000=00 के समायोजन की स्थिति अस्पष्ट रहना :– ओ0बी0सी0 खाता संख्या 386 के चैक संख्या 201632 दिनांक 26.11.2005 द्वारा श्री गोपाल कृष्ण शर्मा, एडवोकेट को रू0 4,715=00 का भुगतान किया गया था। चैक पंजी में व्यय का विवरण "वाद पैरवी व्यय+समायोजन" अंकित था जबकि रोकड़बही आदि में "यात्रा व्यय" अंकित था। सम्बन्धित पत्रावली संख्या प्रशा0–2(ख)–34 /2003–04 के नोटशीट पृष्ठ संख्या 38, 39 व 40 पर कुल व्यय रू0 54,715=00 की स्वीकृति के साथ रू0 50,000=00 के अग्रिम समायोजन व रू0 4,715=00 के भुगतान की स्वीकृति उपाध्यक्ष द्वारा दिनांक 23.11.2005 को प्रदान की गयी थी। लेकिन अग्रिम समायोजन की प्रविष्टि रोकड़बही आदि अभिलेखों में अंकित नही थी। इस प्रकार अग्रिम समायोजन की स्थिति अस्पष्ट थी। प्रकरण की जाँचोपरान्त स्थिति स्पष्ट की जाय।

2– लेखे की परफोरमेंस के सम्बन्ध में आवश्यक बिन्दु :– कोई नही।

3– वित्तीय स्थिति :– सम्परीक्षा में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार जहाँ तक सुनिश्चित किया जा सका, आलोच्य वर्ष में लेखे की वित्तीय स्थिति निम्नवत् थी।

विवरण	धनराशि
01 अप्रैल, 2005 को अथशेष	64480362=45
वर्ष की आय	62199980=73
योग	126680343=18
वर्ष में व्यय	106867067=00
31 मार्च, 2006 को इतिशेष	19813276=18

31 मार्च, 2006 को बैंक खातों में इतिशेष का विवरण :–

(1) सेन्ट्रल बैंक हरिद्वार खाता संख्या 8000 में	4223134=84
(2) पंजाब नेशनल बैंक हरिद्वार खाता संख्या 57382 में	6006031=26
(3) पंजाब नेशनल बैंक हरिद्वार खाता संख्या 57407 में	1682074=50
(4) भारतीय स्टेट बैंक हरिद्वार खाता संख्या 11137 में	693561=48
(5) भारतीय स्टेट बैंक रोशनाबाद खाता संख्या 7072 में	221587=96

Scanned with CamScanner

(6) ओ0बी0सी0 ऋषिकेश खाता संख्या 08 में	2492573=85
(7) ओ0बी0सी0 हरिद्वार खाता संख्या 386 में	12362249=93
(8) सिंडीकेट बैंक हरिद्वार खाता संख्या 30734 में	346852=67
(9) नैनीताल बैंक खाता संख्या 189 में	277984=00
(10) यूको बैंक हरिद्वार खाता संख्या 10500 में	24185=00
(11) पी0एल0ए0 में	25004088=45
योग	53334323=94

टिप्पणी :– (1) विवरण में अंकित "क" एवं "ख" के अन्तर को बैंक समाधान विवरण ... स्पष्ट किया जाय।

(2) विवरण में अंकित अथशेष गत सम्परीक्षा टिप्पणी पर आधारित हैं एवं ... धनराशियाँ लेजर के बाह्य संकलन पर आधारित हैं। इनकी पुष्टि की जाय अन्यथा वास्तवि... अवगत कराया जाय।

(3) नैनीताल बैंक खाते की पासबुक अप्रस्तुत रहने के कारण इतिशेष की पुष्टि ... सकी। बैंक पासबुक प्रस्तुत की जाय।

(4) बैंक खातों की संख्या अत्यधिक थी। समस्त बैंक खातों के औचित्य की सम... अनावश्यक बैंक खातों को बन्द कराया जाय।

(5) विवरण में अंकित बैंक खातों के अतिरिक्त अन्य कोई बैंक खाता न होने की पुष्टि...

(6) आय–व्यय का विवरण परिशिष्ट–1 में अंकित है।

4– विनियोजन :– सम्परीक्षा में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार आलोच्य वर्ष के अन्त में ... विनियोजित नही थी। इस तथ्य की पुष्टि की गयी।

6– राजकीय अनुदान :– प्रमाणित किया जाता है कि आलोच्य वर्ष में अनावर्तक अनुदानों ... निर्धारित उद्देश्यों पर एवं निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत ही किया गया था। विचलन का ... आख्या में यथा स्थान कर दिया गया है। अनुदानों के उपभोग व शेष का विवरण परिशिष्ट 2 ... अंकित है।

टिप्पणी :– (1) विवरणों के अवलोकन से स्पष्ट होगा कि आई0डी0एस0एम0टी0 एवं विधाय... अनुदानों की धनराशियाँ लम्बी अवधि से शेष थी। इनके यथाशीघ्र उपभोग अथवा शासन को ... कार्यवाही अपेक्षित है।

(322) (33/1) (29)

(2) अर्द्ध कुम्भ मेला अनुदान पंजी सादे रजिस्टर में थी एवं किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नही थी। अनुदान पंजी को पूर्ण एवं सक्षम अधिकारी से सत्यापित कराकर प्रस्तुत किया जाय।

(3) सम्परीक्षा में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार आलोच्य वर्ष में संस्था को कोई राजकीय अनुदान प्राप्त नही हुआ था। इस तथ्य की पुष्टि की गयी।

(4) अर्द्ध कुम्भ मेला अनुदानों के कार्यवार उपभोग व शेष का विवरण प्रस्तुत पंजी के अनुसार परिशिष्ट –6 में अंकित है।

(5) अर्द्ध कुम्भ मेला अनुदान पंजी में पृष्ठ 12 पर व्यय रू0 5,00,000=00 का दोहरा अंकन किया गया था। परिशिष्ट–6 में संशोधित स्थिति प्रदर्शित है। पंजी में संशोधन अपेक्षित है।

6– राजकीय/अन्य ऋण :– सम्परीक्षा में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार आलोच्य वर्ष में कोई ऋण प्राप्त नही हुआ था तथा आलोच्य वर्ष के अन्त में कोई ऋण प्रतिदान हेतु शेष नही था। इस कथन की पुष्टि की गयी।

उल्लेखनीय है कि गत वर्ष में प्राप्त समस्त बैंक ऋण का प्रतिदान आलोच्य वर्ष में कर दिया गया था।

7– सम्परीक्षा शुल्क :– आलोच्य वर्ष की आय रू0 6,21,99,980=73 पर आरोपित सम्परीक्षा शुल्क रू0 1,87,100=00 को राजकीय कोषागार में चालान संख्या 04 दिनांक 01.6.2006 द्वारा जमा कर दिया गया है।

गत वर्ष के शेष सम्परीक्षा शुल्क रू0 1,45,767=00 को भी राजकीय कोषागार में निर्धारित शीर्षक के अन्तर्गत जमा कराकर चालान की प्रति प्रेषित की जाय।

8– निष्कर्ष :– उपर्युक्त अनुच्छेदों में वर्णित अभ्युक्तियों एवं सम्परीक्षा आख्या भाग–तीन में निहित 06 आपत्तियों के अतिरिक्त लेखे की स्थिति संतोषजनक थी। इस आख्या के अनुच्छेद 1(1)(2)(3)(4) व (7) में वर्णित प्रकरणों पर यथाशीघ्र कार्यवाही अपेक्षित है।

(एन0पी0 सक्सेना)
सहायक निदेशक
(स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग)
उत्तरांचल, देहरादून।

स्थान: देहरादून
दिनांक: 01.8.2006
राकेश मोहन उपाध्याय
वरिष्ठ लेखा परीक्षक

ओम12345

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट-1 (अनुच्छेद-3 में संदर्भित)

हरिद्वार विकास प्राधिकरण की वर्ष 2005-06 की वित्तीय स्थिति

विवरण	
1 अप्रैल, 2005 को अवशेष-	6,44,80
वर्ष की आय-	6,21,9
योग-	12,66,8
वर्ष में व्यय-	10,68,
31 मार्च, 2006 को इतिशेष-	1,98,
31 मार्च, 2006 को बैंक खातों में इतिशेष का विवरण-	
(1) सेन्ट्रल बैंक हरिद्वार खाता संख्या-8000 में-	42,
(2) पंजाब नेशनल बैंक हरिद्वार खाता संख्या-57382 में-	60,
(3) —— " —— 54407 में-	16,8
(4) भारतीय स्टेट बैंक हरिद्वार खाता संख्या-11137 में-	6,9
(5) —— " —— रोशनाबाद खाता संख्या-7072 में-	2,2
(6) ओ० बी० सी० ऋषिकेश खाता संख्या-08 में-	24,9
(7) ओ० बी० सी० हरिद्वार खाता संख्या-386 में-	1,23,6
(8) सिंडीकेट बैंक हरिद्वार खाता संख्या-30734 में-	3,4
(9) नैनीताल बैंक खाता संख्या-189 में-	2,7
(10) यूको बैंक हरिद्वार खाता संख्या-10500 में-	2
(11) पी० एल० ए० में-	2,50,0
योग-	5,33,34

नगरपालिका, जिला परिषद्/अधिसूचित क्षेत्र समिति/नगर क्षेत्र समिति प्राधिकरण .... के आय और व्यय की तालिका

(अंक पूर्ण रुपयों में)

क्रम-संख्या	स्थानीय निकाय का नाम	1 अप्रैल 18 को प्रारम्भिक अवशेष	......वर्ष की आय: राजकीय अनुदानों और ऋणों के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से आय	अनाव० राजकीय अनुदान	आवर्तक राजकीय अनुदान	राजकीय ऋण	वर्ष की सम्पूर्ण आय (क+ख+ग+घ)	प्रारम्भिक अवशेष सहित योग 3+4 (ङ)	वर्ष में हुआ व्यय	31 मार्च 19 को अन्तिम अवशेष	मन्तव्य
1	2	3	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ)	5	6	7	8
	उपर्युक्त	6,44,80,362	6,21,99,981	—	—	—	6,21,99,981	12,66,80,343	10,68,67,067	1,98,13,276	—
योग											

वर्ष ....में

(अंक पूर्ण रुपयों में)

क्रमांक	व्यय का शीर्षक	वर्ष का वास्तविक	क्रमांक 1 के समक्ष स्तम्भ 3 में प्रदर्शित अनुदानों की संहृत स्थिति		मन्तव्य
			कुल आवर्तक अनुदान	कुल अनावर्तक अनुदान	
1	2	3	4		5
	—— शून्य	——	——	——	——
	योग				

वरिष्ठ लेखा परीक्षक

क्रम-संख्या	राजकीय आदेश संख्या तथा तिथि, जिससे अनुदान स्वीकृत हुआ	अनुदान का प्रयोजन	अनुदान की मौलिक धनराशि	अनुदान प्राप्ति की तिथि	वर्षारम्भ में प्रारम्भिक अवशेष	वर्षान्तर्गत प्राप्त अनुदान	योग	वर्ष में व्यय की गई धनराशि	वर्षान्त में अन्तिम अवशेष	मन्तव्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	आवास अनुभाग-1 (उ०प्र०)									
1.	शा०सं०-57/9-आ-95-53-आई०डी०एस०एम०टी०/96 दिनांक- 31-3-96	संगठित विकास योजना (केन्द्रांश)	53,00,000	31-3-96	48,57,722	—	48,57,722	—	48,57,722	
2.	शा०सं०-57(1)/9-आ-96-53-आई०डी०एस०एम०टी०/96 दिनांक- 31-3-96	एकीकृत विकास योजना (राज्यांश)	35,53,000	31-3-96						
3.	शा०सं०-27/9-आ-1-97-6-आई०डी०एस०एम०टी०/97 दिनांक- 29-3-97	संगठित विकास योजना (केन्द्रांश)	11,00,000	9-2-98						
4.	शा०सं०-27(1)/9-आ-1-97-6-आई०डी०एस०एम०टी०/97 दिनांक- 29-3-97	एकीकृत विकास योजना (राज्यांश)	11,33,000	9-2-98						
5.	शासनादेश अनुपलब्ध	सौन्दर्यीकरण हेतु	1,10,000	अज्ञात	1,02,067	—	1,02,067	—	1,02,067	
6	——"——	सांस्कृतिक-कार्यक्रम हेतु	अज्ञात	अज्ञात	55,935	—	55,935	—	55,935	
				योग-	50,15,724	—	50,15,724	—	50,15,724	

राजाज्ञा संख्या———————दिनांक ———————के सन्दर्भ म महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, ———————विभाग को प्रेषित ।

सं०———————

दिनांक———————

निदेशक,
स्थानीय निधि लेखा,
उत्तर प्रदेश ।

पी० एस० यू० पी०—8 स्था० नि० ले०—27-5-97—50,000 (साव) ।

320

क्रम-संख्या	राजकीय आदेश संख्या तथा तिथि, जिससे अनुदान स्वीकृत हुआ	अनुदान का प्रयोजन	अनुदान की मौलिक धनराशि	अनुदान प्राप्ति की तिथि	वर्षारम्भ में प्रारम्भिक अवशेष	वर्षान्तर्गत प्राप्त अनुदान	योग	वर्ष में व्यय की गई धनराशि	वर्षान्त में अन्तिम अवशेष	मन्तव्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	शा०सं०-1700/वि०पो०ले० दिनांक-22-11-2001	विभिन्न विकास कार्यों हेतु	16,38,000	31-12-01	10,00,000	—	10,00,000	—	10,00,000	तिथि नियत
2.	शा०सं०-1730/वि०पो०ले० दिनांक-6-12-2001	—तदैव—	15,26,000	31-12-01	3,75,000	—	3,75,000	—	3,75,000	
				योग	13,75,000	—	13,75,000	—	13,75,000	

राजाज्ञा संख्या ———— दिनांक ———— के सन्दर्भ म महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा सचिव; उत्तर प्रदेश शासन, ———— विभाग को प्रेषित ।

सं० ————

दिनांक ————

निदेशक,
स्थानीय निधि लेखा,
उत्तर प्रदेश ।

पी० एस० यू० पी०—8 स्था० नि० ले०—[illegible]—80,000 (बाव) ।

क्रम-संख्या	राजकीय आदेश संख्या तथा तिथि, जिससे अनुदान स्वीकृत हुआ	अनुदान का प्रयोजन	अनुदान की धनराशि	अनुदान प्राप्ति की तिथि	वर्षारम्भ में प्रारम्भिक अवशेष	वर्षान्तर्गत प्राप्त अनुदान	योग	वर्ष में व्यय की गई धनराशि	वर्षान्त में अन्तिम अवशेष	मन्तव्य
1	2	3		5	5	7	8	9	10	11
	विभिन्न शासनादेशों द्वारा स्वीकृत राजकीय अनुदानों में से मेलाधिकारी द्वारा प्रेषित अनुदान	अर्द्धकुम्भमेला से सम्बन्धित विभिन्न निर्माणकार्य	4,66,31,000	29-11-03 से 31-3-05 तक	1,28,52,263	—	1,28,52,263	38,73,403	89,78,860	अवशेष में से रू० 32,15,000-00 दिनांक-12-8-04 को वापस किया जाना अंकित।

राजाज्ञा संख्या ———— दिनांक ———— के सन्दर्भ में महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, ———— विभाग को प्रेषित।

ह० ————

दिनांक ————

निदेशक,
स्थानीय निधि लेखा,
उत्तर प्रदेश।

पी० एस० यू० पी०—8 स्था० नि० ले०—27-5-'97—50,000. (आद)।

Scanned with CamScanner

[illegible] कुम्भ मेला 2004 की व्यवस्थाओं के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों हेतु कार्यालय मेलाधिकारी हरिद्वार से प्राप्त धनराशि के विरूद्व वित्तीय वर्ष 2005—06 में उपभोग एंव अवशेष का विवरण:—

क्र0सं0	कार्य का नाम	अवमुक्त राशि रू0 लाख में	1 अप्रैल को प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में व्यय	31 मार्चको अवशेष	अन्य विवरण
1	स्वर्गाश्रम क्षेत्र में विभिन्न सडको का निर्माण कार्य	35.21	159069	-	159069	—	159069	कार्य पूर्ण
2	नीलधारा एव गौरीशकर द्वीप में अस्थाई सडक निर्माण	6.99	210697	-	210697	—	210697	कार्य पूर्ण
3	लोक सेवा आयेाग उत्तरांचल कार्यालय के सामने सडक	1.36	—	—	—	—	—	कार्य पूर्ण
4	केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष तक पहुच मार्ग	11.20	164556	-	164556	—	164556	कार्य पूर्ण
5	जटवाडा सेतु तक पहुच मार्ग	10.28	436878	—	436878	—	436878	अन्तिम बिल भुगतान की कार्यवाही में
6	ऋषिकुल सेतु तक पहुंच मार्ग	21.97	143896	—	143896	—	143896	कार्य पूर्ण
7	मेला क्षेत्र में विभिन्न स्थानो पर हाईमास्ट लाईट की व्यवस्था	90.34	4828694		4828694	3669265	1159429	अन्तिम बिल भुगतान की कार्यवाही में
8	पथप्रकाश व्यवस्था	95.50	204938		204938	204138	800	अन्तिम बिल भुगतान की कार्यवाही में
9	चण्डीपुल सीढियो का अनुरक्षण	0.80	26097	—	26097	—	26097	कार्य पूर्ण
10	मात्रसदन आश्रम के निकट सडक का निर्माण कार्य	5.43	268518	—	268518	—	268518	कार्य पूर्ण

Scanned with CamScanner

[illegible]	[illegible] पुलिया तक सडक निर्माण	[illegible]	[illegible]	–	138941	–	138941	कार्य पूर्ण
13	लेबलिग ड्रेसिंग का कार्य	26.58	99241	–	99241	–	99241	कार्य पूर्ण
14	लक्सर रोड से दक्षद्वीप के अस्थाई पुल तक सडक मरम्मत एंव सुधार कार्य	0.64	6206	–	6206	–	6206	कार्य पूर्ण
15	बाईपास सडक से भारतमाता मंदिर सडक सुधार कार्य	20.77	2038583	–	2038583	–	2038583	जन विरोध के कारण कार्य बन्द
16	भल्ला रोड व जोधामल रोड का मरम्मत कार्य	2.16	78670	–	78670	–	78670	कार्य पूर्ण
17	पीपलवाली गली भोपतवाला में सडक निर्माण व सुधार कार्य	10.14	807452	–	807452	–	807452	कार्य पूर्ण
18	तरूण हिमालय टिबडी के समीप नाले का पुर्ननिर्माण	21.77	1129880	–	1129880	–	1129880	कार्य पूर्ण
19	कोतवाली हरिद्वार के सामने पार्क का सोन्द्रयीकरण	1.00	5835	–	5835	–	5835	कार्य पूर्ण
20	मुख्य सडक से निर्मल छावनी तक सडक निर्माण	0.61	7268	–	7268	–	7268	कार्य पूर्ण
21	हरिद्वार ऋषिकेश मुख्य मार्ग से श्यामपुर तक सडक अनुरक्षण	5.37	150347	–	150347	–	150347	कार्य पूर्ण
22	गीता कुटीर से सच्चा बाबाद्वार तक सडक एंव नाली निर्माण	6.44	413045	–	413045	–	413045	अन्तिम बिल भुगतान की कार्यवाही में
23	नीलधारा क्षेत्र में चीला मार्ग से चण्डीपुल तक मरम्मत कार्य	3.28	–	–	–	–	-	कार्य पूर्ण
24	भोपतवाला में दूधाधारी चौक के निकट साई गली सडक	3.37	46525		46525	–	46525	कार्य पूर्ण

318

	पुलिया तक सड़क निर्माण							कार्य पूर्ण
13	लेबलिंग ड्रेसिंग का कार्य	28.58	99241	-	99241	-	99241	कार्य पूर्ण
14	लक्सर रोड से टापूद्वीप के अस्थाई पुल तक सड़क मरम्मत एवं सुधार कार्य	0.84	6206	-	6206	-	6206	कार्य पूर्ण
15	बाईपास सड़क से [illegible] मंदिर सड़क सुधार कार्य	20.77	2038583	-	2038583	-	2038583	जन विरोध के कारण कार्य बन्द
16	मल्ला रोड व जोधामल रोड का मरम्मत कार्य	2.16	78670	-	78670	-	78670	कार्य पूर्ण
17	पीपलवाली गली [illegible] में सड़क निर्माण व सुधार कार्य	10.14	807462	-	807462	-	807462	कार्य पूर्ण
18	दक्ष हिमालय टिब्बी के समीप नाले का पुनर्निर्माण	21.77	1129880	-	1129880	-	1129880	कार्य पूर्ण
19	कोतवाली हरिद्वार के सामने पार्क का सौन्दर्यीकरण	1.00	5835	-	5835	-	5835	कार्य पूर्ण
20	मुख्य सड़क से निर्मल छावनी तक सड़क निर्माण	0.61	7288	-	7288	-	7288	कार्य पूर्ण
21	हरिद्वार ऋषिकेश मुख्य मार्ग से [illegible] तक सड़क अनुरक्षण	5.37	150347	-	150347	-	150347	कार्य पूर्ण
22	गीता कुटीर से [illegible] तक सड़क एवं नाली निर्माण	6.44	413045	-	413045	-	413045	अंतिम बिल भुगतान की कार्यवाही में
23	[illegible] क्षेत्र में [illegible] मार्ग से [illegible] तक मरम्मत कार्य	3.28	-	-	-	-	-	कार्य पूर्ण
24	[illegible] में [illegible] चौक के निकट साईं गली सड़क	3.37	48525	-	48525	-	48525	कार्य पूर्ण

26	[illegible] बराबर सडक का निर्माण	4.69	6893	–	6893	–	6893	कार्य पूर्ण
27	हरिपुर कला में गली न0–5 की आसपास की 4 गलियों का निर्माण कार्य	5.00	38041	–	38041	–	38041	कार्य पूर्ण
28	हरिपुर कला में गली न0–5 सोडियम लाईट लगाने काकार्य	1.10	23566	–	23566	–	23566	कार्य पूर्ण
29	मा योग शक्ति मार्ग का निर्माण	24.53	940693	–	940693	–	940693	कार्य पूर्ण
30	गौरीशंकर से नजीवाबाद तक पहुंच मार्ग	18.32	51599	–	51599	–	51599	कार्य पूर्ण
31	रोडी बेलवाला में मुख्य सडक के बने फुटपाथ व रेलिंग पर पेन्टिग का कार्य	0.20	6569	–	6569	–	6569	कार्य पूर्ण
32	बैरागी कैम्प में स्थित जूना अखाडा की ओर जाने वाली सडक पर खडंजा एंव नाली नि	3.14	69950	–	69950	–	69950	कार्य पूर्ण
33	भीमगोडा कुण्ड के सौन्द्रयीक0 एंव सफाई का कार्य	0.59	5035	–	5035	–	5035	कार्य पूर्ण
34	जटवाडा से आगे 255 मी0 लम्बाई में मुख्य गंगा नहर के किनारे सौन्द्रयीकरण का कार्य	3.28	29398	–	29398	–	29398	कार्य पूर्ण
35	चण्डीघाट पर शमशान घाट पर टीन शेड का निर्माण कार्य	2.32	99097	–	99097	–	99097	कार्य पूर्ण

Scanned with CamScanner

317

Scanned with CamScanner

	[illegible] सी०सी० सड़क निर्माण							
37	बेलवाला में होल्डअप क्षेत्र में मिट्टी भराई का कार्य एंव सेवा आश्रम कागडा द्वीप बाईपास रोड पर पार्किग तथा रोडी क्षेत्र में कैम्प लगने के स्थानो पर लेवलिग का कार्य	2.97	5352	–	5352	–	5352	कार्य पूर्ण
38	हाईमास्ट लाईट पर कनेक्शन हेतुअर्मडकेबल लगाने का कार्य	1.95	–	–	–	–	–	क्रम सं.–7 में सम्मिलित
39	सिहद्वार से जटवाडा पुल तक नहर के किनारे झाडी सफाई का कार्य	0.10	50	–	50		50	कार्य पूर्ण
	योग	466.81	12852263		12852263	3873403	8978860	
							3215000	चैक सं० 189979 दिनांक 12–8–04 पी०एन० बी० के द्वारा मेला कार्यालय को वापस की गयी राशि
							5763860	प्राधिकरण के पास उपलब्ध राशि

(316) (35)

पत्रांक 556 /नि०को०वि०से० / 2006–07

(92)

प्रेषक,

सहायक निदेशक,
कोषागार एवं वित्त सेवायें,
(स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग,)
देहरादून उत्तरॉचल ।

सेवा में,

उपाध्यक्ष / सचिव,
विकास प्राधिकरण, हरिद्वार
जिला – हरिद्वार ।

दिनांकः– 03-8-2006

विषयः– पुरानी आपत्तियों के निस्तारण के सम्बन्ध में ।

महोदय,

आपके कार्यालय द्वारा प्रस्तुत अनुपालन आख्याओं के आधार पर मेरे द्वारा निम्न आपत्तियों को निस्तारित किया जाता है ।

वर्ष	सम्परीक्षा आख्या के अनुच्छेद	पद	आपत्ति की संख्या
2001–2002	भाग–2 ब– 1 क (7) 3 टिप्पणी (1)(2)		03
		9	01
	भाग–तीन–सा०व०		06
2002–2003	भाग– 2 ब– 9,10,11,13,14,15		03
	भाग–तीन– ––	11,12,13	02
2004–2005	भाग–2 ब– 1 (12)(13)		15
	कुलः–		

सचिव

07-8-06
V-C.

OS.
वार्ता
07/8

3/8/06
(एन०पी० सक्सेना)
सहायक निदेशक,
देहरादून ।

(36)

(315)

पत्रांक 1337 /नि0को0वि0से0/2005–06

(31)

प्रेषक,
सहायक निदेशक,
कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट
इण्टरनल आडिट, उत्तरांचल,
8–ए बंगाली मोहल्ला करनपुर,
देहरादून।

सेवा में,
उपाध्यक्ष/सचिव
विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार

दिनांक 20, फरवरी, 2006

विषय: पुरानी आपत्तियों के निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,
आपके कार्यालय द्वारा प्रस्तुत अनुपालन कार्यवाही के आधार पर मेरे द्वारा निम्न आपत्तियों का निस्तारण किया गया। शेष आपत्तियों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन कार्यवाही अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रेषित की जाय।

वर्ष	सम्परीक्षा आख्या के अनुच्छेद	आपत्ति पत्रावली के पद
1993–94	12,14,15,18	––
1998–99	1(1)(8)	7,8,10,11
1999–2000	1(4)(6),(9),(13),3(1)(2)(3)(4)(5),4(टि0), 5टि0(1)(2)(4),6(टि0)(1),8	––
2000–2001	3(टि0)(1)	––

(पी0 के0 जैन)
सहायक निदेशक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक – उक्तानुसार।

प्रतिलिपि – (1) जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, हरिद्वार को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
(2) केश पत्रावली/स्थल पत्र।

(पी0 के0 जैन)
सहायक निदेशक

सचिव/CFO
22-2-06
VC

CFO
कृपया आख्या सहित प्रस्तुत करें।
Secy
23/2/06

AO/लेखाकार
27/2/06
CFO

Scanned with CamScanner

(37)

(314)

(30)

कार्यालय हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।

/प्रशा0– 2 (ख)– निधि ले0 प0 / 2005 दिनांक मई 2006

कार्यालय ज्ञाप

निधि लेखा परीक्षा देहरादून उत्तरांचल के पत्र संख्या एल0 ए0– / 14 (5)2005–06 13-05-2006 के साथ संलग्न वर्ष 2004–05 की आडिट आपत्तियों की छाया प्रति कर इस आशय से समस्त सम्बन्धित अनुभाग के अधिकारी / कर्मचारियों को कि अपने – अपने अनुभाग से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों की अनुपालन आख्या के अन्दर कार्यालय अधीक्षक को उपलब्ध करा दें जिससे कि आपत्तियो का समय से कराया जा सकें। विवरण निम्न प्रकार है:–

अनुभाग	कर्मचारी	अधिकारी	आपत्ति क्रमांक
लेखानुभाग	श्री एस0पी0 राणा, लेखाकार	मु0वि0 अधिकारी	3टि0,1,2,3,4,5,4टि,1,2,34 टि 5,6,7
अधिष्ठान अनुभाग	एस0के0 जोशी, वरिष्ठ लिपिक	कार्यालय अधी0	12,13,
अभियंत्रण अनुभाग	श्री विनोद राव, लिपिक	सहायक अभियन्ता	1,2,3,4,5,11,
नियोजन अनुभाग	श्री गोविन्द सिंह, मानचित्रकार व श्री सुरेश कुमार, ट्रेसर	सहायक अभियन्ता	भाग–2 ब–प्रस्तर 2,4
सम्पत्ति अनुभाग	श्री राकेश कुमार	सम्पत्ति अधिकारी	14,
मानचित्र अनुभाग	श्री विनय कुमार	सहायक अभियंता	15 भाग–तीन का आपत्ति सं0–1
प्रर्वतन अनुभाग	श्री राममूर्ति लाल	सहा0अभि0	6, 7,8,9,10 भाग–दो का –2

:– उपरोक्तानुसार।

उप सचिव,
हरिद्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार।

:–

उपाध्यक्ष महोदय को सूचनार्थ।
मुख्य वित्त अधिकारी / अधिषासी अभियन्ता / सहायक अभियन्ता एवं समस्त सम्बन्धित को अनुपालनार्थ।

उप सचिव

Scanned with CamScanner